

15

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-3/विविध-01-49/2026-

/स्वा0, पटना, दिनांक:

स्वास्थ्य सेवा सम्वर्ग के निम्न नवनियुक्त चिकित्सा पदाधिकारियों द्वारा NEET PG-2026 के परीक्षा में आवेदन करने हेतु अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है:-

क्र० सं०	चिकित्सक का नाम/पदनाम/पदस्थापन स्थल	जन्म तिथि
1	डा० दीपक गौरव, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अतरी गयाजी	22.09.97
2	डा० विकार कुमार, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अति०प्रा०स्वा० केन्द्र, कुम्हरावाँ, रोह, नालदा	18.12.96
3	डा० नवनीत कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा०स्वा० केन्द्र, करगहर, रोहतास	15.12.94
4	डा० मो० इफतेखार, चिकित्सा पदाधिकारी, अति०प्रा०स्वा० केन्द्र, घोघरडीहा, मधुबनी	29.05.98
5	डा० सुनील कुमार रजन चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजेन्द्र नगर, पटना	21.05.94
6	डा० प्रेरणा कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बेहर, बाँका	
7	डा० स्वाति कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी, सर्जरी विभाग, जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल, मधेपुरा	21.11.99
8	डा० अमित कुमार सेन, चिकित्सा पदाधिकारी, अति०प्रा०स्वा० केन्द्र, छतवन, दरभंगा	16.04.97
9	डा० अजीत कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, सासाराम	05.10.98
10	डा० नित्यानन्द शर्मा, चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा०स्वा० केन्द्र, मुशहरी, मुजफ्फरपुर	28.11.99
11	डा० अभिषेक प्रकाश, चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा०स्वा० केन्द्र, समेली, कटिहार	17.11.99
12	डा० टीशा रोज, चिकित्सा पदाधिकारी अति०प्रा०स्वा० केन्द्र माहिनगर, कदवा कटिहार	25.08.97
13	डा० प्रितम कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गुठनी, सिवान	06.05.91
14	डा० समरीन एजाज चिकित्सा पदाधिकारी, अति०प्रा०स्वा० केन्द्र, कचियाना, लखीसराय	22.12.97

02. विदित हो कि विभागीय सकल्प सं० 508(3) दिनांक 05.06.2026 से बिहार स्वास्थ्य सेवा सम्वर्ग के चिकित्सकों को अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु दिशानिर्देश निर्गत किया गया है, जिसमें उल्लेखित है कि बिहार राज्य के बाहर किसी चिकित्सा महाविद्यालय एवं राज्य के अन्तर्गत निजी संस्थानों में उच्चतर अध्ययन के लिए चिकित्सकों को निम्नवत शर्तों को पूरा करने के उपरान्त अनापत्ति प्रदान की जाएगी:-

(i) सेवा सम्पुष्ट हो ।

(ii) तीन वर्ष की नियमित/लगातार कार्य करने की सम्पुष्टि नियंत्री पदाधिकारी के द्वारा की गई हो ।

03. उपरोक्त चिकित्सक नवनियुक्त चिकित्सक है, जिनकी सम्पुष्टि तथा कार्य अवधि 03 वर्ष पूरा नहीं हुआ है अर्थात् विभागीय सकल्प-508(3), दिनांक-05.06.2026 से निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र के दिशानिर्देश की अर्हतापूर्ण नहीं करते है जिसके आलोक में उक्त चिकित्सा पदाधिकारियों का अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु समर्पित अभ्यावेदन विचार योग्य नहीं है ।

04. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव

N

ज्ञापाक :

765 (3) / स्वा0, पटना, दिनांक: 27/8/26

प्रतिलिपि: संबंधित प्राचार्य/संबंधित अधीक्षक/संबंधित निदेशक/संबंधित असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, 2, 8, 9 एवं 17/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: विभागीय पी0एम0यू0 लीड/डाटा एनॉलिस्ट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

Moham 24/8/26
सरकार के उप सचिव